

17²/₂₅

श्री जगन्नाथजी के श्री मूल दावा अदम्य पेशी
अदम्य दावारी में अवारिफ हो चुका है प्राथमिक
दावा का भाग होना है - यदि मूल दावा अवारिफ
होने के बाद प्राथमिक अवारिफ इसी क्रम
निरत (अभाए) होना जाता है पत्रावली
के अंत में सुभाए होकर नया सिद्ध हो। मूलानं
मूलवाद रहे।

००१
उपखण्डाधिकारी
बाड़ी धौलपुर राज